

**MINUTES OF THE CURRENT
REMUNERATION RATES OF
THE UNIVERSITY**



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

2072/का.प./बैठक/19,

बिलासपुर, दिनांक 07/02/2019

// अधिसूचना //

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के कार्य परिषद् की 80 वीं (आपात) बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 07/02/2019, दिन गुरुवार, दोपहर 12:30 बजे विश्वविद्यालय के 'सिरपुर प्रशासनिक भवन' के कुलपति कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही -

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह - अध्यक्ष
कुलपति
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर
2. प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव - सदस्य
आचार्य
मानविकी अध्ययन विभाग
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
(कुलपति, इग्नू के द्वारा नामांकित)
3. डॉ. अनिता सिंह - सदस्य
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
(कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय शैक्षणिक संकाय से मनोनीत)
4. डॉ. राजकुमार सचदेव - सचिव
कुलसचिव
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके -

1. सचिव - सदस्य
छ.ग. शासन
खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग
अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)
2. श्री एस. के. चक्रवर्ती - सदस्य
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
रायपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित)

3. श्री एस. एल. नायक
संयुक्त सचिव - सदस्य
छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
नया रायपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा नामांकित)
1. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट - सदस्य
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग
नया रायपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा नामांकित)

प्रारम्भ में गणपूर्ति के अभाव में कार्य परिषद् की बैठक स्थगित की गई थी तथा आधे घंटे के बाद स्थगित बैठक प्रारंभ हुई। अध्यक्ष महोदय के द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये -

- प्रस्ताव क्र.1 भवन निर्माण समिति की द्वितीय बैठक (सत्र 2018-19 में) दिनांक 02/02/2019 के कार्यवाही-विवरण के अनुमोदन पर विचार।
निर्णय - कार्य परिषद के द्वारा भवन निर्माण समिति के कार्यवाही-विवरण का अनुमोदन किया गया।
- प्रस्ताव क्र. 2 सत्र जुलाई-जून 2018-19 में 30 अध्ययन केन्द्रों को पोषण राशि की प्रथम किश्त रु. 11,55,770/- की भुगतान स्वीकृति पर विचार।
निर्णय - कार्य परिषद के द्वारा प्रथम किश्त की राशि रु. 11,55,770/- स्वीकृत किया गया।
- प्रस्ताव क्र. 3 डॉ जय सिंह, सह समन्वयक, उप क्षेत्रीय केन्द्र कांकेर की सेवा एक वर्ष बढ़ाये जाने पर विचार।
निर्णय - कार्यपरिषद के द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- प्रस्ताव क्र. 4 वर्धमान मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान) से अनुबंध किये जाने पर विचार।
निर्णय - कार्यपरिषद के द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- प्रस्ताव क्र. 5 अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर से अनुबंध किये जाने पर विचार।
निर्णय - कार्यपरिषद के द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- प्रस्ताव क्र. 6 डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय, कोटा, बिलासपुर से अनुबंध किये जाने पर विचार।
निर्णय - कार्यपरिषद के द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- प्रस्ताव क्र. 7 विश्वविद्यालय समन्वय समिति द्वारा अनुमोदित परीक्षा पारिश्रमिक दरों को अंगीकृत किये जाने पर विचार।

Prakash

10/1/19

कार्यपरिषद् के द्वारा विचारोपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया -

समन्वय समिति द्वारा पारित तथा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के अधिरू क्रमांक 7932/अका./19 दिनांक 24/01/2019 के संगत प्रतीत होने वाले प्रावधानों को यथावत लागू किया जाये।

2. मुक्त विश्वविद्यालय होने के कारण अनेक कार्य जिनका उल्लेख अधिसूचना में नहीं है उनके दर विश्वविद्यालय में लागू पूर्व दर ही रहेंगे।

3. जिनका प्रावधान पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की अधिसूचना में नहीं है (बिन्दु क्रमांक 06) उस पर माननीय कुलपति जी को समय-समय पर दर निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया।

यह भी कि इनमें अन्य कार्य (बिन्दु क्रमांक 07) जिसका उल्लेख नहीं है को भी जोड़ा जाये।

4. इसे जून, 2019 की सत्रांतर परीक्षा से लागू किया जाये।

प्रस्ताव क्र. 8 विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों के सम्पादन मंडल के देयकों का पुराने दर पर भुगतान किये जाने पर विचार।

निर्णय - कार्यपरिषद् के द्वारा निर्णय लिया गया कि जिन्हें पुराने दर पर कार्य सौंपा गया था उनका भुगतान पुराने दर पर ही किया जाये। प्रस्तावित सम्पादन मंडल के देयको का भुगतान स्वीकृत किया गया।

प्रस्ताव क्र. 9 विश्वविद्यालय के पैनल लॉयर्स की सूची पर विचार।

निर्णय - कार्यपरिषद् के द्वारा श्री विवेक रंजन तिवारी, अधिवक्ता का नाम पैनल लॉयर की सूची में जोड़े जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुये सूची को अनुमोदित किया।

प्रस्ताव क्र. 10 माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में (पीएचडी से संबंधित 226 प्रकरण) विचाराधीन प्रकरणों में विश्वविद्यालय की ओर से प्रस्तुत जवाब का अनुमोदन किये जाने पर विचार।

निर्णय - चूंकि माननीय कुलपति जी ने पुराने पीएचडी प्रकरणों पर कार्यपरिषद् के बैठकों में विचार एवं निर्णयों पर भाग नहीं लिया था। उसी आधार पर इस प्रस्ताव पर भी कुलपति जी ने विचार एवं निर्णय पर भाग नहीं लिया।

शेष उपस्थित सदस्यों ने अधिवक्ता एवं पैनल लॉयर द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया तथा यह निर्णय लिया कि -


(क) बिन्दु क्रमांक 13, 14, 15, 16 एवं 17 को जवाब में स्थगित रखा जाये तथापि यदि अधिवक्ता इसे आवश्यक मानते हैं तो कुलसचिव से चर्चा कर उचित निर्णय लें।

11) यदि उचित हो तो अधिवक्ता लिखित प्रत्युत्तर भी कोर्ट में प्रस्तुत करें। इन संशोधनों के साथ ड्राफ्ट को स्वीकृत किया गया।


परिचायक क्र.11 विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 29 वीं बैठक दिनांक 07/02/2019 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय - कार्यपरिषद् के द्वारा विद्या परिषद् की 29 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त हुई।


(राजकुमार सचदेव)
कुलसचिव/सचिव

पृ. क्रं. 2073/का.प./बैठक/19,
प्रतिलिपि -



(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष

बिलासपुर, दिनांक 07/02/2019

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. सम्मानीय सदस्यगण -
- 3.1 प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, मानविकी अध्ययन विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।
- 3.2 श्री एस.के.चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- 3.3 श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- 3.4 श्री एस.एल. नायक, संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मंत्रालय, नया रायपुर।
- 3.5 सचिव, छ.ग.शासन, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- 3.6 डॉ. अनिता सिंह, सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग), पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर।

की ओर कार्यवाही-विवरण आपके अवलोकन एवं बहुमूल्य सम्मति हेतु प्रेषित है।

4. निज सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव के सूचनार्थ।
5. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. संबंधित विभाग प्रमुखों ~~रूपायना~~ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्य परिषद् में लिये गये निर्णयों पर विभागीय कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कर पालन-प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।
7. नस्ती हेतु।


कुलसचिव



पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शारान के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)

कोनी-विरकोना मार्ग ,बिलासपुर (छ.ग.) 495009

दूरभाष क्रमांक : (07752) 210312 फ़ैक्स : (07752) 213073

www.pssou.ac.in Email – registrar@pssou.ac.in

क. 68/गोप./2021

बिलासपुर दिनांक 04/09/2021

// संशोधित अधिसूचना //

विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 6137/गोप./2019 दिनांक 28/02/2019 के अनुसार परीक्षा/गोपनीय संबंधी पारिश्रमिक दरों में परिवर्तन किया गया है। जो सभी विभागों में प्रसारित की गई थी। पुनः अधिसूचित पारिश्रमिक दर समस्त विभागों को प्रसारित की जा रही है। उक्त अधिसूचित पारिश्रमिक दर के आधार पर देयक प्रस्तुतीकरण अथवा भुगतान संबंधी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा समस्त विभागों अथवा केन्द्रों को प्रदत्त पारिश्रमिक देयक प्रारूप के पृष्ठ क्र. 02 पर अंकित दर सूची में प्रायोगिक परीक्षा के अंतर्गत क्र. 02 पर अंकित UG एवं PG पाठ्यक्रम हेतु आंतरिक एवं बाह्य परीक्षक को देय न्यूनतम राशि रु. 200/- के स्थान पर रु. 500/- पढ़ा जावे।

आदेशानुसार

परीक्षा नियंत्रक

दिनांक 04/09/2021

क. 2669/गोप./2021
प्रतिलिपि :-

1. कुलपति जी के निज सचिव को मान. कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. कुलसचिव के निज सचिव को कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ।
3. वित्ताधिकारी की ओर सूचनार्थ।
4. विभाग की ओर सूचनार्थ।
5. क्षेत्रीय समन्वयक, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर/दुर्ग/रायपुर/जशपुर/जगदलपुर/कांकेर/अंबिकापुर की ओर अधिसूचना सभी अध्ययन केन्द्रों में प्रसारण हेतु।
6. कार्यालय प्रति।

परीक्षा नियंत्रक

सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

Pt. Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh, Bilaspur

कोठी -दिरकोना मार्ग, बिलासपुर छ.ग. पिन नं.- 495005,

फोन : 07752-213073,643644,645346

क. 6137 / गोप. / 2019

बिलासपुर दिनांक 28/02/2019

॥ अधिसूचना ॥

प. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के कार्य परिषद् की 80 वीं (आपात) बैठक दिनांक 07.02.2019 में प्रस्ताव क्रमांक 07 में APPENDIX: Remuneration for Examination Work का अनुमोदन किया गया है जो निम्नानुसार है:-

**APPENDIX
REMUNERATION FOR EXAMINATION WORK**

Approved Rate
In Rs.

1. The Scale of Remuneration of paper setter/examiners as follows viz:-

(i) For Ph.D., D.Sc. & D.Lit. examinations:

(a) Reading a Thesis for Ph.D.	2500
(b) Practical and Viva-Voce examination for Ph.D.	1500
(c) Reading a Thesis for D.Sc. or D.Litt.	3500
(d) Practical and Viva-Voce examination for D.Sc. or D.Litt.	1500

(ii) For M.Phil, PG and PG Diploma Examinations:

(a) Setting a Question Paper	New Pattern	With answer key	2000
		Without answer Key	1800
(b) Valuation of answer book	TEE		20 (Min. 200)
	TMA		15 (Min. 200)
(C) (1) Reading the Thesis/ Dissertation and Viva-Voce of a candidate for PG & PG Diploma Examination			120
(2) Reading a project report/field work/ field report of a candidate for PG & PG Diploma Examination			120
(3) M.Phil Dissertation/ Project Report Valuation and Viva-Voce			100+50
(d) Viva-Voce/Practical Examination of each candidate			15 (Min. 500)

(iii) For UG Examinations:

(a) Setting a Question Paper	New pattern	With answer key	1800
		Without answer Key	1600
(b) Valuation of answer book	TEE		15 (Min. 100)
	TMA		12 (Min. 100)
(c) Conducting Practical Examination per Candidate to each Internal and External Examiners per Centre			12 (Min. 500)

(iv) **All Diploma/Certificate Courses:**

(a) Setting a Question Paper	New pattern	With answer key	1800
		Without answer Key	1600
(b) Valuation of each answer book	TEE		15
	TMA		(Min. 100)
			12
			(Min. 100)
(c) Conduction Practical Examination of each candidate			12
			(Min. 400)

(v) **Miscellaneous:**

(a) Drafting detailed memorandum of instructions for Co-examiners			600
(Where no model answer are sent by head examiner and the answer books examined by Co-examiners(Where no model answer are sent by head examiner and the answer books examined by Co-examiners are not re-examined by head examiner)			
(b) For translation of paper from English to Hindi medium or other Indian Language and Vice-Versa.			350
(c) Moderation of question of paper for UG/PG		Essay Type	350
		Multiple Choice Type	500
			(For 50 Questions)

Note:-

- (a) If a paper is set by two examiners the remuneration shall be divided equally between them excepting in B.Ed.
- (b) If a paper for an examination consists of two sections, both of which are compulsory, the remuneration payable for examine each answer book in section shall be half the remuneration prescribed for examining each answer book in the full paper.
- (c) (1) The answer books weighing two or more than two or more than two kilograms will be sent by the examiners to the university by railway and the railway freight charged thus incurred by the examiner in sending the packets will be paid by the university.
- (2) The actual postal expenses incurred by the examiners in sending the packets of answer book less than two kilogram and also the award list to the university shall be paid by the university.
- (3) Amount payable to the local examiners for bringing or sending the answer-books and award lists to the university shall be. Rs. 100
- (d) Remuneration for re-examination of answer book(for revaluation) to each examiner. 40 Rs.
(Min. Rs. 100)

2. THE FOLLOWING SHALL BE THE RATES OF REMUNERATION FOR THE WORK RELATING TO DECLARATION OF RESULTS AND ISSUE OF STATEMENT OF MARKS OBTAINED EXAMINEES VIZ:-

(i) Checking/Scrutinizing per hundred candidates	40/-
	(Min. 40)
(ii) For writing of statement of marks-each marks sheet	1
(iii) For Checking/Scrutinizing of statement of marks-each mark sheet	1
(iv) For writing of each Degree/Diploma/Certificate	5

- (v) For Checking/Scrutinizing of Degree/Diploma/Certificate-each Checker/ Scrutiniser. 2
3. Maximum remuneration that a single person shall be entitled to draw from the university in respect of one academic session for any or all of the work mentioned under paragraph 1 above shall be Rs. 500000
(All excess amount over and above the said limit shall lapse to the university.*)
*Provided that where sufficient numbers of examiners are not available in any subject, the Vice-Chancellor may relax the maximum limit by Rs. 10000/- for reasons to be recorded in writing.
4. Unless specially permitted, deduction shall be made from the remuneration bills on account of the following:-
- | | |
|---|----|
| (i) Delay in dispatch of foil/counter foils or marks to be the Registrar for each day of delay. | 15 |
| (ii) Delay in return of answer books for each day of delay Rs. | 15 |
| (iii) Delay in the dispatch of the report on the examination for each day of delay Rs. | 15 |
| (iv) Entry of marks against wrong Roll Number-per mistake Rs. | 15 |
| (v) Wrong entry of marks (e.g.35 instead of 25)-per mistake Rs. | 15 |
| (vi) If marks in award list differ from those shown on the answer books-per mistake Rs. | 20 |
| (vii) Omission to entry marks in award list although answer books sent- per mistake Rs. | 15 |
| (viii) Omission to mark a question or part of question- per mistake Rs. | 15 |
| (ix) Mistake in totaling of marks-per mistake Rs. | 15 |

Note:-

- (a) If any examiner commits more than three mistake under any of the categories mentioned in the categories mentioned in the foregoing paragraph or if any examiner commits mistake or mistakes by which the result of a candidate is affected, his work shall be deemed as unsatisfactory and the matter may be placed before the Executive Council for any action deemed proper.
- (b) Deductions from the bill of tabulations for each mistake made by the tabulator shall be.

5. THE FOLLOWING SHALL BE THE RATES OF REMUNERATIONS PAYABLE TO PERSONS ENGAGED IN WORK RELATING TO UNIVERSITY EXAMINATION A CENTRE VIZ:-

(A) THEORY

- | | |
|---|---------------------------|
| (a) Senior Superintendent (Principle): Per Shift
(Presence of the Principal during the entire period of examination) | 300
(Max. 500 per day) |
| (b) Superintendent : Per Shift | 200
(Max 400 Per day) |
| (c) Assistant Superintendent: Per Shift | 150
(Max 300 Per day) |
| (d) Invigilator : Per Shift | 120 |
| (e) Class III and Class IV staff of the college/Deptt. Engaged in examination work at a centre. | 6 and 4 respectively |

(per candidate for the total number of the candidate actually admitted to the examination at the centre to be distributed by the Centre Superintendent.)

- (f) Lumsum grant payable(par candidate registered) to be examination centre to cover expences on all contingent items. (Min. Rs. 1500 per
(The Principal/ Head of the concerned, institution shall send a utilization certificate in this respect to the university.)

(B) PRACTICAL :

Laboratory staff engaged in connection with practical examinations- (per candidate for the total number of the candidate actually admitted to the examination at the centre.) 6

(C) Others:

- (a) Forwarding of examination form (Officer and his staff per application form Forwarded.) 30
- (b) For supplying all necessary materials for practical examination UG Exam. 2
(in subjects where needed) Science and Home Science Namely vegetables, Chemical, dissection, animais, plant, raw material etc., PG Exam. 4
The principal of the college concerned will be paid contingent charges for per candidate actually appeared in the examination.
For which Principal will have to issue an official receipt.

6. In case of a work for which no remuneration has been prescribed in the foregoing paragraph, the rate therefore shall be determined by the Kulpati.

S.No.	Nature of Confidential Work	Item ordinance 5-17 to which this work is considered EQUIVALENT	Revised rates of Remuneration
1.	To prepare the list of carry forward marks of candidates appearing for various examinations.	Writing of statement marks	Per Candidate
2.	Corrections in chart(including corrections for declaration of withheld results)	Writing of statement marks.	Per Candidate
3.	To put the correct Roll Nos. on award for practical's.	Collection of Results	Per Candidate
4.	To write the foils and counter foils for marks awarded in Central Valuation.	Collation of Result Tabulation	Per Candidate
5.	Posting of UFM and Revaluation cases & declaration of their results.		Per Candidate
6.	Scrutiny of answer Books.		Per Candidate

Note : The above rates shall apply from the Term End Examination June 2019.

आदेशानुसार,
कुलसचिव

(Signature)

क. 138 / गोप. / 2019

बिलासपुर, दिनांक 28 / 02 / 2019

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर
2. सचिव, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग महानदी भवन मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/प्राचार्य, सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
6. समस्त विभागीय अधिकारी,
7. मान. कुलपति के निज सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

कुलसचिव